प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 अगस्त, 2025

विषयः- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निजाम पुत्र श्री अशरफ, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3591/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 28.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निजाम पुत्र श्री अशरफ, जो लक्ष्मन नगला, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 12.12.1996 को अभियुक्त अपने 06 सहअभियक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण मस्जिद के बरामदे में जब नमाज पढ़ने के बाद मृतक अकबर, रौनक, मो० शफी आये तो अभियुक्त ने उन पर तलवार, तमंचे व हसियें से हमला कर दिया, जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 275/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-1, रामपुर के आदेश दिनांक 04.09.2000 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष. 04 माह. 04 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 12 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का पीड़ित के परिवार द्वारा घोर विरोध किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पीड़ित परिवार व समाज में व्यापक रोष पैदा होने, बन्दी द्वारा कोई अप्रिय घटना/वारदात कारित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 12.12.1996 को अभियुक्त अपने 06 सहअभियक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण मस्जिद के बरामदे में जब नमाज पढ़ने के बाद मृतक अकबर, रौनक, मो० शफी आये तो अभियुक्त ने उनपर तलवार, तमंचे व हसियें से हमला करके तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निजाम पुत्र श्री अशरफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निजाम (बंदी संख्या-17155) पुत्र श्री अशरफ, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-1005/2025/358(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1005/2025/358/22-2-2025-17(266)/2025

दिनांक 07 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निजाम पुत्र श्री अशरफ, जो लक्ष्मन नगला, थाना-टाण्डा, जनपद-रामपुर का निवासी है। दिनांक 12.12.1996 को अभियुक्त अपने 06 सहअभियक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण मस्जिद के बरामदे में जब नमाज पढ़ने के बाद मृतक अकबर, रौनक, मो० शफी आये तो अभियुक्त ने उन पर तलवार, तमंचे व हसियें से हमला कर दिया, जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 275/1997 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-1, रामपुर के आदेश दिनांक 04.09.2000 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 25.05.2007 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.09.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष. 04 माह. 04 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह, 12 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का पीड़ित के परिवार द्वारा घोर विरोध किये जाने, बन्दी की समयपूर्व रिहाई से पीड़ित परिवार व समाज में व्यापक रोष पैदा होने, बन्दी द्वारा कोई अप्रिय घटना/वारदात कारित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 12.12.1996 को अभियुक्त अपने 06 सहअभियक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण मस्जिद के बरामदे में जब नमाज पढ़ने के बाद मृतक अकबर, रौनक, मो० शफी आये तो अभियुक्त ने उनपर तलवार, तमंचे व हसियें से हमला करके तीन व्यक्तियों की हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी निजाम पुत्र श्री अशरफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in